भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 379
21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय:- अल नीनो के लिए तैयारी

379. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल बीमा, सूखा राहत सहायता और सिंचाई, पनधारा विकास, भू-जल पुनर्भरण और जलवायु-अनुकूल कृषि जैसे सूखा-जोखिम न्यूनीकरण उपायों में निवेश पर कितना व्यय किया गया है;
(ख) क्या सरकार ने अल नीनो की अनुमानित स्थितियों और अनियमित मानसून की बढ़ती आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए फसल बीमा और सूखा राहत सहायता पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए सूखे से निपटने के उपायों में निवेश का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने मानसून की दृष्टि से संवेदनशील 315 जिलों, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश सहित खराब सिंचाई सुविधाओं वाले 111 जिलों के लिए जिला-विशिष्ट सूखा तैयारी योजनाएं तैयार की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान सूखा-जोखिम न्यूनीकरण उपायों के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है और इसमें जिला-वार कितनी वास्तविक प्रगति हुई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	वास्तविक रिलीज/व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	13,549.70
2022-23	10,296.03
2023-24	12,948.50
2024-25	14,772.86
2025-26	10,702.61

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का कुल व्यय/रिलीज निम्न प्रकार है:

आंकड़े (रुपये करोड़ में)

वर्ष	जारी की गई SDRF में केंद्र का हिस्सा	जारी की गई NDRF (सभी आपदाओं के लिए)	कुल
2020-21	17,825.63	8,257.09	26,082.72
2021-22	17,747.20	7,342.30	25,089.50
2022-23	16,392.80	1,524.86	17,917.66
2023-24	19,419.60	869.14	20,288.74
2024-25	19,830.40	5,160.77	24,991.17
कुल	**91,215.63**	**23,154.16**	**1,14,369.79**

इसके अलावा, 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए SDRF के तहत राज्यों को कुल 1,63,521 करोड़ रुपये आवंटित करने की सिफारिश की है, जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 1,24,732.65 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत, जलसंभर विकास के लिए कुल ₹6,260.86 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग आंध्र प्रदेश सहित देश में वर्ष 2015-16 से केंद्र प्रायोजित योजना 'प्रति बूंद अधिक फसल' (PDMC) कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान, PDMC को PMKSY के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था और 2022-23 से इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। PDMC का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई, विशेष रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। पिछले पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान, आंध्र प्रदेश में PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 4.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार से 1162.93 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2014-15 से वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (RAD) योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने, सूखा, बाढ़ या अन्य प्रतिकूल मौसम घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) पर बल देना है। इसकी शुरुआत से अब तक RAD के तहत कुल 2,251.98 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और 9.53 लाख हेक्टेयर भूमि को IFS के अंतर्गत लाया गया है, जिससे लगभग 15.7 लाख किसानों को लाभ हुआ है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों में प्रभावित किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में सूखा राहत सहायता पर 790.73 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) और (ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के विभिन्न संस्थानों, ICAR- केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (CRIDA), केंद्रीय जल आयोग (CWC), केंद्रीय भूजल बोर्ड (CJWB), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD), उर्वरक विभाग (DoF) और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय में, मानसून की बदलती स्थिति और कृषि पर अल नीनो की संभावित स्थिति के प्रभाव की लगातार निगरानी कर रहा है।

इस संबंध में, ICAR के केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-CRIDA) द्वारा आंध्र प्रदेश सहित 14 राज्यों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजनाओं (DACP) को अद्यतन किया गया है, जिसमें 342 जिले शामिल हैं जहां सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है।

फसल मौसम निगरानी समूह (CWWJ) की साप्ताहिक बैठक भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), केंद्रीय जल आयोग (CWC), केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-CRIDA), उर्वरक विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ वर्षा की स्थिति, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर, फसल बुवाई, इनपुट उपलब्धता, बाजार की स्थिति और कीट/रोग घटनाओं की समीक्षा करने के लिए की जा रही है ताकि समय पर बचाव कार्य किया जा सके।

आगामी सीजन के लिए बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। राज्यों की 172.80 लाख क्विंटल की मांग की तुलना में खरीफ फसलों के बीजों की 192.25 लाख क्विंटल उपलब्धता का आकलन किया गया है। राज्यों ने 1% बीज अर्थात् 1.73 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज भंडार के रूप में रिजर्व रखा है।

फसल विविधता को बढ़ावा देने, कम अवधि वाली और सूखा-सहिष्णु फसल किस्मों को बढ़ावा देने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण पद्धतियों, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग खेती और अन्य जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 1 से 30 जून, 2026 के दौरान एक राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें 80,67,300 किसानों ने 114,567 आयोजित कार्यक्रम में जल संरक्षण को बढ़ावा देने, कुशल सिंचाई और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए भाग लिया। साथ ही, संवेदनशील जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत एक गहन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वितरण अभियान और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (NICRA) नामक एक परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जो कृषि से संबंधित जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का अध्ययन करती है और जलवायु परिवर्तन के कारण जिला स्तर पर जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन करती है।

जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति किसानों की अनुकूलता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए, धान की सघनता प्रणाली, ऐरोबिक राइस, धान की सीधी बुवाई, सूखा और गर्मी जैसी प्रतिकूल मौसम स्थितियों के प्रति सहिष्णु जलवायु प्रतिरोधी किस्मों की खेती जैसी स्थान-विशिष्ट जलवायु प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन परियोजना के तहत 151 जिलों में स्थित 448 जलवायु प्रतिरोधी गांवों में KVK के माध्यम से किया गया है। गोद लिए गए गांवों में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NICRA के तहत ग्राम स्तरीय बीज बैंक और सामुदायिक नर्सरी स्थापित करने हेतु क्षमता निर्माण कार्य किया जा रहा है।

NICRA के कई गांवों में सूखे और बाढ़ सहिष्णु और जलवायु अनुकूल धान, गेहूं, सोयाबीन, सरसों, चना, ज्वार, चना और कंगनी (Foxtail millet) की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) के तहत कृषि पद्धतियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। NICRA के तहत, जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में शामिल 151 जिलों के अलावा अतिरिक्त संवेदनशील जिलों में भी लघु एवं सीमांत किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2014-25 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा कुल 341 सूखा-सहिष्णु किस्में जारी की गईं, जिनमें से 200 अनाज, 25 तिलहन, 43 दलहन, 18 रेशे वाली फसलें, 16 चारा फसलें, 36 गन्ना और 3 अन्य फसलें हैं। इसी अवधि में कुल 59 ग्रीष्म-सहिष्णु किस्में जारी की गईं, जिनमें से 43 अनाज, 7 तिलहन, 7 दलहन, 2 मूंग और 2 रेशे वाली फसलें हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि संभावित अल नीनो स्थितियों और मानसून की बढ़ती परिवर्तनशीलता को देखते हुए, राज्य सरकार ने सूखे से निपटने की तैयारियों के उपायों की समीक्षा की है, जिसमें मानसून-पूर्व शुष्क बुवाई (PMDS) को बढ़ावा देना, जलवायु-अनुकूल फसल प्रणाली, मृदा नमी संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाना शामिल है, ताकि दीर्घकालिक सूखे की संवेदनशीलता को कम किया जा सके।

केंद्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों को जलाशय के जल के अधिकतम उपयोग के लिए अग्रिम योजना बनाने और कुशल सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) जैसी चल रही योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। ग्रामीण विकास विभाग विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (Gramin) (VB G Ram G) निधि का उपयोग जल संरचनाओं - जैसे कि खेत तालाब, चेक डैम, नहरों की गाद निकासी और बोरी बंधन - के पुनरुद्धार के लिए कर रहा है ताकि प्रारंभिक या अवशिष्ट वर्षा की प्रत्येक बूंद को संचित किया जा सके।

(घ): राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश के संवेदनशील जिलों के लिए जिला स्तरीय सूखा राहत योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें फसल सुरक्षा उपाय, बीज भंडार, सिंचाई प्रबंधन और फसल संबंधी एडवाइजरी शामिल हैं। राज्य सरकार कुरनूल, अनंतपुर और श्री सत्य साई जिलों पर विशेष बल दे रही है।

आंध्र प्रदेश राज्य ने विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान सूखा जोखिम न्यूनीकरण उपायों के तहत आकस्मिक बीज की आपूर्ति के लिए 67.47 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में मानसून से प्रभावित जिलों जैसे कि अनंतपुर, श्री सत्य साई और कुरनूल, जहां सिंचाई की सुविधा कम है, राज्य के कृषि और जल संसाधन विभागों ने निम्नलिखित स्थानीय हस्तक्षेपों को प्राथमिकता दी है:

(क) फसलों के चयन में महत्वपूर्ण बदलाव: अधिक पानी की खपत वाली धान की खेती से हटकर कम पानी की आवश्यकता वाली मिलेट (श्री अन्न), दलहन और तिलहन की खेती की ओर संरचनात्मक बदलाव को लागू करना।

(ख) भूजल एवं जलकुंड प्रबंधन: स्थानीय लघु सिंचाई जलकुंडों की त्वरित गाद निकासी और कृषि पंपों के उपयोग का अनुकूलन।

(ग) सरकार द्वारा जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम "जलधारा-जल हरथी" मिशन के तहत जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए उपाय किए गए हैं। इस कार्यक्रम को 100 दिनों की समयबद्ध अवधि (6 अप्रैल से 14 जुलाई, 2026) के रूप में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रीष्मकालीन सूखे से व्यवस्थित रूप से निपटना, लघु सिंचाई अवसंरचनाओं की रक्षा करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

(घ) चेक डैम और परकोलेशन टैंक: इनका निर्माण बारिश के पानी के बहाव को धीमा करने के लिए किया जाता है, जिससे पानी को जमीन में रिसने और स्थानीय बोरवेल को रिचार्ज करने का समय मिल सके।

(ङ) स्थानीय कृषि नियोजन के अलावा, राज्य लिफ्ट सिंचाई योजनाओं और नदी अंतर्संबंध पर निर्भर करता है।
